कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश

संख्या–एम0ई0–3/2021/1324 लखनऊ:: दिनांक 25 मई, 2021

कार्यालय आदेश

कोविड–19 से संक्रमित मरीजों के चिकित्सा उपचार हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, अयोध्या, बहराइच, अम्बेडकरनगर, बदायूँ, जालौन, आजमगढ़ तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर, मिर्जापुर, देवरिया, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, गाजीपुर, जौनपुर, एटा, प्रतापगढ़ के सीनियर/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेन्टों को निजी क्षेत्र के निम्नांकित मेडिकल कालेजो मे तैनात किये जाने के आदेश निर्गत किये गये थे:–

1. टी0एस0मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ
2. मेयो इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी
3. हिन्द इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, बाराबंकी
4. इन्टीग्रल इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ
5. हेरिटेज इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, वाराणसी
6. युनाईटेड इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, प्रयागराज

उक्त कालेजों में तैनात किये सीनियर रेजीडेन्ट/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेन्टों को कार्यमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि इनकी तैनाती उक्त कालेजों से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करें। अतः उपरोक्त समस्त कालेजो के सीनियर रेजीडेण्ट/नॉन पी0जी0 जूनियर रेजीडेण्टो को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना सुनिश्चित करें।

तद्नुसार उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही की सूचना से इस महानिदेशालय को अवगत कराया जाये।

(सौरभ बाबू)
महानिदेशक।